१८

अत्यावश्यक

पत्रांक–2प / GPDP-18-1 / 2018 / 9380 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

दिनांक : 28 / 09 /2022

विषयः– **People's Plan Campaign (PPC)-'Sabki Yojana Sabka Vikas' के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना / प्रखण्ड पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने एवं ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का DO No.-R-1/2022-CB दिनांक 01.09.2022।**

महाशय,

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा पंचायत के तीनों स्तर पर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रखते हुए समयबद्ध कार्यक्रम (दिनांक 02 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 के मध्य) के अनुसार ग्राम पंचायत के समावेशी विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार करने और ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने का निदेश प्राप्त है।

2. पंचायत का समावेशी विकास (Inclusive Development), संसाधनों के शत् प्रतिशत उपयोग एवं विभिन्न लाईन विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के अभिसरण (Convergance) से ही संभव है। संविधान के 11वीं सूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित सभी विभाग उपर्युक्त अभियान में समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने में अपने विभाग से संबंधित Frontline Worker के माध्यम से अपनी सहभागिता देंगे तथा इस हेतु दिशा–निदेश निर्गत करेंगे।

3. आगामी वित्तीय वर्ष (2023–24) के लिए GPDP/BPDP/DPDP तैयार किये जाने की कार्य प्रक्रिया आंशिक संशोधन के साथ लगभग गत वर्ष के अनुरूप ही है। इस सन्दर्भ में GPDP/BPDP/DPDP की परिकल्पना, उद्देश्य, चरण एवं गतिविधियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निदेश पूर्व में ही प्रेषित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है।

4. अभियान का प्रारम्भ **2 अक्टूबर, 2022** से होगा। इस तिथि को ग्राम पंचायतों के द्वारा **विशेष ग्राम सभा** का आयोजन किया जायेगा तथा अभियान के संबंध मे ग्राम सभा को जानकारी दी जायेगी। उक्त बैठक में ग्राम पंचायत से संबंधित स्थायी समितियों, स्वयं सहायता समूहों विशेषकर जीविका की सदस्यों, युवा समूह, सामाजिक नेतृत्व के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना के

लगातार......

अनुमोदन हेतु आहूत ग्राम सभा की आगामी तिथि (Schedule in GPDP) से सभी सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि पंचायत विकास योजना तैयार करने एवं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अधिकतम 3 ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है।

5. सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रखते हुए निम्नलिखित समयवद्ध कार्यक्रम के अनुसार पंचायत विकास योजना तैयार करके ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा की प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी :–

क्र0	गतिविधि	कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित समयावधी
1	Facilitator/Frontline Worker को नामित करना एवं GPDP Portal में अपलोड करना	सितम्बर, 2022
2	ग्राम सभा की बैठक Schedule करना	27 सितम्बर, 2022
3	Public Information Board का सभी ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन	28 सितम्बर, 2022
4	प्रथम विशेष ग्राम सभा का आयोजन	2 अक्टूबर, 2022
5	e-Gram Swaraj Application में DPDP, BPDP & GPDP की Uploading	31 जनवरी, 2023

6. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र में निदेशित है कि पंचायतों के द्वारा कार्य योजना तैयार किये जाने के क्रम में उनके द्वारा संकल्पित सतत विकास लक्ष्य आधारित 9 **Localazing Sustainable Development Themes (LSDG Themes)** को केन्द्रित (Focus) करते हुए पंचायत विकास योजना तैयार किया जायेगा। विदित हो कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में दिनांक–11–17 अप्रैल, 2022 के मध्य पंचायतों के द्वारा विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर कम से कम दो एव अधिकतम तीन LSDG को चयनित किया गया है तथा आगामी दो वर्षो में उक्त के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिनांक–24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के शुभ अवसर पर संकल्प लिया गया है। 9 LSDG Themes की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

7. उक्त अभियान के तहत तथ्यपरक (आंकड़ों पर आधारित) पंचायत विकास योजना तैयार किया जायेगा। विकास योजना तैयार किये जाने में वर्ष 2020 के मिशन अंत्योदय सर्वे में प्रदर्शित Critical Gaps एवं ई–मानचित्र, जनगणना से संबंधित आंकड़ों आदि का उपयोग किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वयं सहायता समूह द्वारा गत वर्ष में निर्मित Village Poverty Reduction Plans(VPRPs) को भी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करेगी। पंचायत विकास योजना में किशोरियों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाएँ निश्चित तौर पर ली जायेगी।

8. राज्य में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर जोखिम सूचित पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी। उक्त योजनाओं में आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं सामाजिक वानिकी से संबंधित योजनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन, अनुश्रवण एवं निगरानी में उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद उपर्युक्त कार्यक्रम के वरीय पदाधिकारी होंगे तथा जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार

लगातार......

किये जाने एवं संबंधित पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला पचांयत राज पदाधिकारी प्रखण्ड पंचायत विकास योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पचांयत समिति उक्त कार्यक्रम के ससमय कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे। जिला पदाधिकारी निदेशित कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग को संसूचित करेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप गतिविधियों का कार्यान्वयन करते हुए दिनांक–31 जनवरी, 2023 तक पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार करके अनुमोदित कार्य योजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा की प्रविष्टि का कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाये।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 2प/GPDP-18-1/2018/ 9380 पं०रा० पटना, दिनांक– 28/09/2022

प्रतिलिपिः सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 2प/GPDP-18-1/2018/ 9380 पं०रा० पटना, दिनांक– 28/09/2022

प्रतिलिपिः **अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/कार्यपालक निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**/कृषि विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राज्य स्वस्थ्य समिति/जल संसाधन/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग/पशु एवं मत्स्य पालन विभाग/अल्पसंख्यक विभाग/श्रम संसाधन विभाग/उद्योग विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/पथ निर्माण विभाग/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/ऊर्जा विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार, पटना/Bihar Rural Livelihood Promotion Society/महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रखण्ड पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना में आपके विभाग से संबंधित योजनाओं को सम्मिलित कराने हेतु अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित करने की कृपा की जाये।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०

१५८

ज्ञापांकः 2प/GPDP-18-1/2018/ 9380 पं०रा० पटना, दिनांक– 28/09/2022

प्रतिलिपिः परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

17 Sustainable Development Goals आधारित 9 LSDGs केन्द्रित पंचायत विकास योजना हेतु कार्य योजना

सतत् विकास लक्ष्य हेतु राज्य स्तरीय नोडल विभाग–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

Sl no.	LSDGs Themes	Releted SDGs	Departments	Nodal Dept.
1	Poverty Free and Enhanced Livelyhoods Village गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गाँव	1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well being, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 7. Affordable and Clean Energy, 8. Decent Work and Economic growth, 10. Reduced Inequalities, 11. Sustainable cities and communties, 13. Climate Action, 15. Life of Line	कृषि विभाग ग्रामीण विकास विभाग समाज कल्याण विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग महिला एवं वाल विकास नि0 स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शिक्षा विभाग (प्राथमिक)	ग्रामीण विकास विभाग
2	Healthy Village स्वस्थ गाँव	2. Zero Hunger 3. Good Health and Well being, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 12. Sustainable Consumption and Production	महिला एवं वाल विकास नि0 स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शिक्षा विभाग (प्राथमिक) कला संस्कृति एवं युवा विभाग	स्वास्थ्य विभाग
3	Child friendly Village बाल मैत्री / स्नेही गाँव	4. Quality Education, 5. Gender Equality, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well being, 1. No Poverty, 8. Decent Work and Economic growth, 10. Reduced Inequalities, 16. Peace Justice and Strong Institution	महिला एवं वाल विकास नि0 स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शिक्षा विभाग (प्राथमिक) ग्रामीण विकास विभाग कला संस्कृति एवं युवा विभाग	समाज कल्याण विभाग (महिला एवं वाल विकास नि0)

4	Water sufficient Village जल की प्रचुरता वाला गाँव	10. Reduced Inequalities, 12. Sustainable Consumption and Production, 13. Climate Action, 14. Life Bellow Water, 15. Life of Line	कृषि विभाग लघु जल संसाधन विभाग स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग महिला एवं वाल विकास नि0	पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं
5	Clean and Green Village स्वच्छ एवं हरा–भरा गाँव	5. Gender Equality, 6. Clean Water, 7. Affordable and Clean Energy, 12. Sustainable Consumption and Production, 13. Climate Action, 14. Life Bellow Water, 15. Life of Line	कृषि विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग उर्जा विभाग ग्रामीण विकास विभाग	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
6	Self-sufficient infrastructure in village आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा युक्त गाँव	1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 11. Sustainable cities and communties, 9. Industry, Inovation and Infrastructure	स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं वाल विकास नि0 पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लघु जल संसाधन विभाग शिक्षा विभाग (प्राथमिक) सूचना प्रावैधिकी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग	पंचायती राज विभाग
7	Socially just and Socially secured village सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव	1. No Poverty, 2. Zero Hunger,. 3. Good Health and Well - being, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 7. Affordable and Clean	गृह विभाग समाज कल्याण विभाग ग्रामीण विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पंचायती राज विभाग

		Energy, 8. Decent Work and Economic growth, 10. Reduced Inequalities, 11. Sustainable cities and communties, 16. Peace Justice and Strong Institution	महिला एव वाल विकास नि0 अनु0जाति/अनु0जनजाति कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शिक्षा विभाग पंचायती राज विभाग	
8	Village with Good Governance सुशासन युक्त गाँव	1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well being, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 8. Decent Work and Economic growth, 9. Industry, Inovation and Infrastructure, 10. Reduced Inequalities,	पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लघु जल संसाधन विभाग ग्रामीण विकास विभाग अनु0जाति/अनु0जनजाति कल्याण विभाग सूचना प्रावैधिकी विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पंचायती राज विभाग
9	Engendered Development in village गाँव में समान लैंगिक विकास	1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well being, 4. Quality Education, 5. Gender Equality, 6. Clean Water, 7. Affordable and Clean Energy; 8. Decent Work and Economic growth, 10. Reduced Inequalities, 13. Climate Action, 16. Peace Justice and Strong Institution	गृह विभाग कृषि विभाग महिला एवं वाल विकास नि0 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग स्वास्थ्य विभाग उर्जा विभाग पंचायती राज विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ग्रामीण विकास विभाग शिक्षा विभाग उद्योग विभाग समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग

अनुलग्नक–2

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम पंचायत की बैठक के आयोजन हेतु एजेण्डा

"सबकी योजना सबका विकास"

बैठक की तिथि..............................
बैठक का स्थान..............................

ग्राम पंचायत का नाम... **एल.जी.डी. कोड................................**

प्रखण्ड कार्यालय का नाम.................................. **जिला ....** **राज्य–बिहार**

एजेन्डाः वार्षिक कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2023–24) तैयार किया जाना।

- मीटिंग में सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।
- एजेण्डा बिन्दु।

1. ग्राम पंचायतों के मुखिया ग्राम पंचायत की बैठक का उद्देश्य बतायेंगे।
2. ग्राम पंचायत सचिव जी. पी. डी. पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगे।
3. सुविधादाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुती और सत्यापन किया जाना।
4. ग्रामपंचायत के समक्ष स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्य योजना संबंधित प्रस्तुतीकरण करना।

1. मिशन अंत्योदय में सर्वे के दौरान प्राप्त परिणामों पर चर्चा करना।
2. संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243G की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतीकरण करना।

संविधान के अनुच्छेद–243G के अनुसार 29 विषयों की सूची।

<u>11वीं अनुसूची</u>

1. कृषि विकास एवं विस्तार।
2. भूमि विकास भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण।
3. पशुपालन दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्यपालन।
4. मत्स्य उद्योग।
5. लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है।
6. वन विकास।
7. लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है।
8. ग्रामीण विकास।
9. पीने का शुद्ध पानी।
10. खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
11. इंधन एवं पशु धारा।
12. सड़क, पुल, तट, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
13. वन जीवन तथा कृषि खेतों (वनों मे)।
14. ग्रामीण बिजली व्यवस्था।
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।
16. यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि विद्यालय।
18. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

19. वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. बाजार एवं मेला।
22. सांस्कृतिक कार्यक्रम।
23. अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें दवाखाना शामिल हैं।
24. पारिवारिक समृद्धि।
25. सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग एवं मानसिक समृद्धि शामिल है।
26. महिला एवं बाल विकास।
27. समाज के कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शामिल है।
28. लोक विभाजन पद्धति।
29. सार्वजनिक संपति की देखरेख

7. ग्राम पंचायत के समावेशी विकास हेतु LSDG से संबंधित लिए गये संकल्प के आधार पर आर्थिक एवं गैर आर्थिक, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की रोक–थाम, सामाजिक वानिकी, जल संरक्षण जैसे समसामयिक विषयों से संबंधित गतिविधियों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
8. ग्राम पंचायत संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी ताकि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर निर्मित परिसम्पति पर न्यून प्रभाव पड़े।
9. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।
10. वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
11. ग्राम सभा में कमियों के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।
12. ग्राम पंचातय में पायी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित कर सकती है। जैसे संपत्ति का निमार्ण एवं रख–रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण–समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी.एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।
13. पंचायत की कमियों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
14. बुनियाद नागरिक सेवायें प्रदान करने संबंधी गतिविधियों जैसे कि मुख्यमंत्री निश्चय योज़ना (ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं ग्रामीण गली–नाली निश्चय योजना),सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैरातों का विकास, खेल के मैदानों का विकास, सिंचाई क्षमता वृद्धि, प्राथमिक विद्यालयों/आँगनवाड़ी केन्द्रों/स्वास्थ्य उप केन्द्रों में सुविधाओं का विकास, पंचायत में अवस्थित सार्वजनिक भवनो का दीर्घकालीन रख–रखाव, शवदाह गृह/विद्युत शवदाह गृह का निर्माण आदिकी योजना का क्रियान्वयन Tied & Untied के अधीन 15वें वित्त की धनराशि से की जाएगी।
15. ग्राम पंचायतGPDP से संबंधित गतिविधियों/कार्यो का चयन, प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सामने पढ़ा जायेगा और तदनुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा। GPDP Portalपर ग्राम पंचायत की बैठक का जियो टैग फोटो अपलोड किये जायेगें।
16. अनुमोदित GPDP को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

अनुलग्नक–3

जिला द्वारा नामित फैसिलिटेटर/स्वयं सहायता समूहका रिर्पोटिंग प्रारूप

क्र0स0	कार्यक्षेत्र	0
1	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	
2	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या	
3	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या	
4	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	
5	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित महिलाओं की संख्या	
6	विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रस्तुतिकरण किया जाना	
6.1	पंचायती राज विभाग	
6.2	ग्रामीण विकास विभाग	
6.3	कृषि विभाग	
6.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
6.5	महिला एवं बाल विकास विभाग	
6.6	ऊर्जा विभाग	
6.7	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग	
6.8	पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग (अन्य)	
7	मिशन अन्त्योदय अन्तर्गत एकत्रित डेटा की प्रस्तुति एवं पुष्टि	
8	स्वंय सहायता समूह द्वारा गरीबी संबंधित मुद्दों एवं गरीबी उन्मूलन की योजना का प्रस्तुतीकरण	
9	जी0पी0डी0पी0 पर विचार–विमर्श	
9.1	वर्तमान वर्ष में हुई गतिविधियां एवं बजट के उपयोग की समीक्षा	
9.2	ग्राम पंचायत को वर्ष 2020–21 में सम्भ्वतः उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा	
8.3	मिशन अन्तयोदय सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी कर्मियों एवं उन्हें कम करने हेतु प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा	
8.4	जी0पी0डी0पी0 पर पारित संकल्प का ग्राम्र पंचायत द्वारा दर्ज किया जाना	
9	प्रगति में ग्राम सभा की फोटों को जियो टैंग करना	
10	सार्वजनिक सूचना बोर्ड की फोटों को जियो टैग करना	

नोट– संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जायेगी।

अनुलग्नक–4

लोक–सूचना पट्ट

Panchayati Raj

ग्राम पंचायत...................................... एल0जी0डी0 कोड़...........................

प्रखण्ड–......................... जिला–.................... राज्य–...................

मुखिया का नाम–........................... ग्राम का नाम–..............................

क्र0सं0	योजना	गतिविधि	राशि	वर्ष

नोटः–लोक सूचना पट्ट 20 फीट x 10 फीट साईज का होगा। उक्त सूचना पट्ट को ग्राम पंचायत भवन के परिसर में/समीप स्थापित किया जायेगा।

939

ई–ग्राम स्वराज में डाटा प्रविष्टि से संबंधित प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला का नाम– प्रखण्ड का नाम– पंचायत का नाम–

क्र0सं0 प्राथमिकता के आधार पर	ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य	विभाग / सेक्टर से संबंधित	कार्य स्थल / वार्ड सं0	लागत (लाख में)	निधियों के स्रोत	तकनीकी स्वीकृति और पर्यवेक्षण के लिए एजेंसी	क्रियान्वयन के लिए एजेंसी	क्रियान्वयन की समयावधि	क्रियान्वयन के लाभ	लाभूकों की संख्या		
										Gen	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

पंचायत सचिव का हस्ताक्षर मुखिया का हस्ताक्षर